न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 30/2018

RCMS Case No. 2018/00379

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 मांगीलाल पुत्र पन्ना उर्फ पन्नाराम जाति माली निवासी कपुरड़ी (रायपुर) तहसील रायपुर		1 राज्य सरकार जरिये हल्का पटवारी रायपुर II 2 तहसीलदार (भूमिधारक) रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री मनीष ओझा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 31/01/2019

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत कर तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2018 सरकार बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का रायपुर II द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम रायपुर II के खसरा नम्बर 1873 रकबा 37 बीघा 2 बिस्वा गै0मु0 रास्ता की भूमि में से 2 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर टीनशेड का कच्चा मकान तथा सीमेन्ट का पानी का पक्का हौद बना कर अतिक्रमण करना जाहिर किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए अपीलाण्ट के नाम नोटिस जारी किया। उक्त नोटिस अपीलाण्ट से व्यक्तिशः तामील भी नहीं हुआ एवं प्रथम पेशी पर ही अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित किए। इसके अगले ही दिन पटवारी हल्का तथा भू अभिलेख निरीक्षक को पुलिस इमदाद व सरपंच से आवश्यक संसाधन प्राप्त कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व दिनांक 29.06.2018 को उक्त गिरदावर एवं पटवारी को विवादित आराजी की नाप चौक का आदेश भी दिया गया था, किन्तु बिना कोई नाप चौक किए दिनांक 05.07.2018 को अपीलाण्ट

अति० जिला कलक्टर, पाली

को विवादित आराजी से बेदखल कर दिया गया। वास्तविक स्थिति अनुसार अपीलाण्ट का खसरा नम्बर 1873 की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलाण्ट के पौत्र द्वारा सरपंच के विरूद्ध बयान देने के कारण सरपंच की व्यक्तिगत द्वेषतावश सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। जिस कच्चे मकान एवं हौद को अतिक्रमण बताया है, वह रास्ते की भूमि में नहीं होकर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2022 में हैं। इस कारण प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में कवर ही नहीं होता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय में जानबूझकर इन्द्राज नहीं करते हुए निर्णय में कब्जा बाड कर अतिक्रमण करना दर्शाया है, जबकि पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें कच्चा मकान व सीमेंट का पानी का पक्का हौद बनाकर अतिक्रमण करना दर्शाया हैं, जिसके आधार पर धारा 91 के तहत प्रकरण दायर किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की पालना में पक्के निर्माण को तोडा गया है, जिसकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (1) के तहत कलक्टर से अनुमति भी प्राप्त नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी भी रूप में साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करके अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में किए गए निर्माण को जैर अपील आदेश की पालना में तोडा गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को नोटिस जारी किए जाने पर अपीलाण्ट द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय, बर के समक्ष स्थाई व्यादेश का दावा पेश किया, जो विचाराधीन होने के बावजूद भी ताबडतोड कार्यवाही करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रायपुर II के खसरा नम्बर 1873 रकबा 37 बीघा 2 बिस्वा गै0मु0 रास्ता की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा कब्जा कर पक्का निर्माण करने के कारण पटवारी हल्का रायपुर II द्वारा तहसीलदार रायपुर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि पटवारी हल्का रायपुर II द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर जाहिर किया कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम रायपुर II के खसरा नम्बर 1873 कुल रकबा 37.02 बीघा में से 2 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर अर्द्धकच्चा मकान व सीमेन्ट का पानी का पक्का हौद निर्माण कर अतिक्रमण किया हैं। इस पर तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर

अति० जिला कलेक्टर, बाड़

करते हुए अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया, वह अपीलाण्ट के पौत्र द्वारा तामील किया गया, जो सम्यक् तामील की परिभाषा में शुमार होने से तामील माना गया। अपीलाण्ट बावजूद नोटिस तामील के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया तथा जुर्माना आरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किए गए। अपीलाण्ट का कथन है कि जिस कच्चे मकान एवं पानी के हौद का जिक्र किया गया है, वह गै0मु0 रास्ते की भूमि में न होकर अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में बने हैं, किन्तु इन तथ्यों के समर्थन में अपीलाण्ट को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। यदि उक्त निर्माण अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में था एवं रास्ते की भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा कोई अतिचार नहीं किया गया, तो इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट अपनी खातेदारी भूमि एवं रास्ते की भूमि के सीमाकंन हेतु कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र था, जो अपीलाण्ट द्वारा नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश की पालना में मौके से भौतिक रूप से बेदखल किया जा चुका है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2018 सरकार बनाम मांगीलाल में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2018 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/01/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली